an>

Title: Need to take effective measures to curb child marriages in the country.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : बाल विवाह भारत देश की दिनोंदिन गहरी समस्या बनती जा रही है। कम आयु में लड़की का गर्भवती होना इसका प्रमाण 2014-2015 में 22 प्रतिशत बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 'बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं' का नारा देकर एक जन जागरण अभियान शुरू किया है। फिर भी हमारे भारत वर्ष में गुड़िया खेलने की उम्र में लड़कियां गर्भवती हो रही हैं। बाल विवाह के कारण बेटियों की शिक्षा अधूरी रह रही है। कम उम्र में शादी, कम उम्र में गर्भवती होने के कारण उसका असर माता और गर्भ में पल रहे शिशुओं में हो रहा है। उसके कारण माता मृत्यु, गर्भपात, कुपोषित शिशु, सन्तान शिक्षा, स्त्री शिक्षा जैसी जटिल समस्या देश का गला पकड़ रही है। महाराष्ट्र में विगत दो साल में कुमारी माता की संख्या दस हजार से भी अधिक है। बाल विवाह का प्रमाण 35 प्रतिशत है जिसमें दुल्हन की आयु 15 से 17 साल की है। तीन सौ साल पुरानी प्रथाएं आज भी चल रही हैं। अकेले मुम्बई में 2012-2013 में तीस हजार विवाहित, अविवाहित महिलाओं के गर्भपात हुए। इसमें कुछ गर्भपात लिंग निदान की वजह से हैं तो कुछ अनैतिक संबंधों की वजह से हो चुके हैं। इसमें 15 से कम उम्र की लड़कियों की सुख्या 150, 15 से 17 आयु वाली लड़कियों की संख्या 1600, 18 साल से ऊपर की महिलाओं की संख्या 27000 है। बेटी का गर्भ में ही गला घोट देना आज भी कम नहीं हुआ है। गर्भपात का एक दूसरा पक्ष है दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री करना और ऐसी कंपनियों पर अंकुश रखने पर सरकार अभी भी सफल नहीं हुई है। हाल ही में जोधपुर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की की शादी एक मजदूर से कर दी। आज भी घर-घर में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आज भी वह अत्याचार से ग्रस्त हैं। किसी की जबरन शादी कर दी जा रही है, किसी से बलात्कार हो रहा है, किसी को गुड़ियों से खेलने की उम्र में माता बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों में बचने के लिए बाल विवाह कानून को कड़ाई से अमल में लाया जाए। उसके लिए शीघ्र न्याय व्यवस्था निर्मित कर लोगों की इस गन्दी मानसिकता को बदलने के लिए अभियान चलाया जाए।